कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible]

पत्रांक 1227 / 1-21, दिनांक, गोपेश्वर, [illegible] /2022

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

Date and Stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV) reg.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1833 / 1जी-5066(भा0स0 दिशा निर्देश) दिनांक 21.01.2022.

...दय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वन ...प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है पत्र में ...उल्लेखित बिन्दु के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत ...हो चुकी है तथा दिनांक 06.01.2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरो के ...अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। आपके विभाग के अन्तर्गत एक प्रकरण है जिसमें वर्ष 2016 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी परन्तु उसमें विधिवत स्वीकृति आतिथि तक भी अप्राप्त है। जिसका एन0पी0वी0 की धनराशि का अवशेष भुगतान किया जाना है जो निम्नानुसार है

प्रस्ताव का नाम	पूर्व में एन0पी0वी की जमा धनराशि(रू0 में)	एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की दर (रू0 प्रति है0 में)	हस्तान्तरित वन भूमि (है0 में)	06.01.2022 की दरो के अनुसार जमा की जानी वाली धनराशि (रू0 में) कॉलम सं0(3 x 4) के अनुसार	अवशेष जमा की जानी वाली धनराशि (रू0 में) कॉलम सं0(5-2)के अनुसार
1	2	3	4	5	6
बारमगाड़ से कोटमिला रैई मोटर मार्ग	8,83,008.00	10,05210.00	1.344	13,51,002.24	**4,67,994.24** या देय धनराशि **रू0 4,67,994.00**

अतः विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त टेबिल के कॉलम सं0 6 में अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि रू0 4,67,994.00(रू0 चार लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौरानब्बे) मात्र की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित की जा सके।

ऑनलाईन चालान जनरेट करने हेतु पुराने चालान को Cancel कर नये डिमाण्ड नोट की धनराशि अंकित करते हुए मांग पत्र ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात् नोडल अधिकारी हेतु Verifiation बटन को क्लिक करने पर नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी कार्यालय हेतु वैरिफिकेशन हेतु जायेगा, वैरिफिकेशन होने पर चालान जनरेट होगा।

भवदीय

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्याः 74/X-4-16/1(13)/2016

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 06 फरवरी ~~जनवरी~~, 2016

विषयः जनपद–चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.344 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2067/FP/UK/ROAD/15541/2015 दिनांक 19 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद **चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.344 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन की **सैद्धान्तिक** स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0एन0–11–.09–/98 एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रतयावर्तित भूमि के बदले 2.688–है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की **अनुपालन आख्या तथा समस्त देयकों के भुगतान का चालान ऑन लाईन अपलोड** किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

पंजी. सं. 5086
फ इल सं. 12-1
दिनांक 12/02/2016
प्रमाग - वन प्रभाग

Scanned with CamScanner

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 74 (1)/X-4–16/1(13)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग कुण्ड रोड़ विकास भवन, गोपेश्वर चमोली।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner